संख्या-587/2025/500के-2/22-3-2025-17(691)/2023

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2025

विषय:- जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत सिंह पुत्र श्री बनी सिंह, निवासी जनपद-मथुरा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-19806/प्रो0-3-फार्म-ए/2023 दिनांक-15.06.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत सिंह पुत्र श्री बनी सिंह, ग्राम-दघेंटा, थाना-बल्देव, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 23.07.2015 को दहेज में एक गाडी व एक लाख रू0 की मांग के कारण बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गला घोटकर रिन्की की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-04/2016 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 323/34 व 04 डी0पी0 एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिलाओ के विरूद्ध अपराध सम्बंधी न्यायायल) एफ0टी0 सी0 प्रथम, मथुरा के आदेश दिनांक 31.10.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-07-04-2023 तक बन्दी की आयु 31 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.05.2021 एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा गला घोटकर हत्या करने का अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अजीत सिंह पुत्र बनी सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत सिंह (बन्दी संख्या-484/2019) पुत्र बनी सिंह, निवासी

जनपद-मथुरा को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, मथुरा।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या-587/2025/500के-2/22-3-2025-17(691)/2023

दिनांक 26 दिसम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, मथुरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अजीत सिंह पुत्र श्री बनी सिंह, ग्राम-दघेंटा, थाना-बल्देव, जनपद-मथुरा का निवासी है। दिनांक 23.07.2015 को दहेज में एक गाडी व एक लाख रू0 की मांग के कारण बंदी ने अपने 04 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गला घोटकर रिन्की की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-04/2016 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी, 323/34 व 04 डी0पी0 एक्ट में मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (महिलाओ के विरूद्ध अपराध सम्बंधी न्यायायल) एफ0टी0 सी0 प्रथम, मथुरा के आदेश दिनांक 31.10.2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। दिनांक-07-04-2023 तक बन्दी की आयु 31 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मथुरा की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 22.05.2021 एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, बन्दी के छूटने से किसी भी घटना से इन्कार नहीं किये जाने, बन्दी पुनः अपराध कारित करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी को जेल में और आगे निरुद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड के सदस्यों का अभिमत है कि बन्दी द्वारा गला घोटकर हत्या करने का अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी अजीत सिंह पुत्र बनी सिंह को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।